राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 18.11.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने तथा इसके संक्रमण से होने वाली मृत्युओं को न्यूनतम किये जाने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास निरन्तर किये जा रहे है तथा राज्य सरकार इस हेतु प्रारम्भ से ही प्रतिबद्व है।

विगत समय में कुछ ऐसे कैसेज सामने आये है जिनकी कोविड–19 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है किन्तु एचआर सीटी जांच में उनके फेफडों में संक्रमण पाया गया है। ऐसी स्थिति में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों/जांच प्रयोगशालाओं से समन्वय एवं एचआर सीटी जांच का डाटा संग्रहण हेतु एक वरिष्ठ चिकित्सक को नोडल अधिकारी नियुक्त करें तथा ऐसे मरीजों का समुचित उपचार करवाया जाना व आवश्यकता होने पर ऐसे मरीजो को अस्पताल में भर्ती करवाया सुनिश्चित करे।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय,
3 विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7 मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
8 समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
9 समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
10 समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
11 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन राजस्थान।
12 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
14 समस्त निजी चिकित्सालय, राजस्थान।
15 जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
16 निजी/रक्षित/कम्प्यूटर सैल।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव